

12/08/16 का पत्र है।

29/8/16 वकुलाप उपरी उमप पत्रों की  
बहस दूर सुनी गई। कालि आदेश  
दि 6/9/16 को पेश हो।

6/9/16 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप फरीको  
उपरी मोग्य अधिकारता गणों द्वारा की  
गई बहस एवं पत्रावली के उपलब्ध रिफाई  
के अवलोकन पर मनन करने के पश्चात  
प्रतिवादी द्वारा विस्तृत प्राथमिक आपत्ति  
प्राथना पत्र स्वीकार किया जाता है। दर  
स्वीकार पर दावा एवेट होने से दावा  
वादी स्वारिज किया जाता है। प्रथक  
से विस्तृत निर्णय सिखा जाकर पर्चा डिप्टी  
जारी की जावे। पत्रावली फंसल सुमार होकर  
बम्बर से कम की जाकर बाइ तकमील दाखिल  
दफ्तर की जावे। निर्णय खुले इजलास में सुनाया  
गया।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोन सिटी